387

(Court fee stamps: दो रुपये TWO RUPEES)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्र.क्र. :- निगरानी 523-I-15 सन्

अशोक कुमार पाठक पुत्र स्व. श्री रामनारायण पाठक

हाल नि. चौबे कालोनी पाठक आटा चक्की के पास,

छतरपुर तह. व जिला छतरपुर म.प्र. .... आवेदक

श्री विनोद भार्गव द्वारा आज दि. 13-3-15 को प्रस्तुत

बनाम

1. श्रीमति मुंगिया पटेल पत्नि श्री बल्ली पटेल

निवासी ग्राम महराजगंज तह. व जिला छतरपुर

म0प्र0

2. शासन म0प्र0 .... अनावेदकगण

13-3-15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.14
प्र.क्र. 40/अ-12/2013-14 न्यायालय राजस्व -
निरीक्षक महोदय, तह. व जिला छतरपुर म.प्र.

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
13-3-2015

महोदय,

आवेदक सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है ।

1. यह कि आवेदक के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि ख नं. 102/1 रकवा 1.626 हे. स्थित ग्राम महराजगंज तह. व जि. छतरपुर में स्थित है एवं आवेदक से लगी हुई भूमि ख न. 103 रकवा 2.072 हे. स्थित ग्राम महराजगंज तह. व जि. छतरपुर अनावेदक क्रं. 1 की भूमि है इस कारण आवेदक एवं अनावेदक क्रं. 1 सरहद्दी काश्तकार है ।

2. यह कि अनावेदक क्रं. 1 द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन के पूर्व आवेदक द्वारा भी अपने स्वत्व व आधिपत्य की भूमि का सीमांकन किये जाने बावत् आवेदन प्रस्तुत किया था, परन्तु राजस्व निरीक्षक महोदय छतरपुर द्वारा उक्त आवेदनों पर किये गये सीमांकन कार्यवाही में म.प्र. भू. राजस्व संहिता द्वारा विहित प्रावधानों का पालन न कर पृथक-पृथक सीमांकन आदेश पारित कर दिये ।

(2)

क्रं. 2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-523-एक/2015 जिला-छतरपुर

अशोक कुमार पाठक विरूद्ध श्रीमती मुंगिया पटेल व म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री आर.डी. शर्मा अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील व जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 40/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 10-06-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 18-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 25/2/2019 सदस्य	